न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/280

प्रकरण संख्या 146/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री शंकरलाल बनाम तहसीलदार भीण्डर

– : :निर्णय : :– दिनांक :– **29.08.2022**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की जमाबंदी सम्वत् 2068–71 में खाता संख्या 1500 आराजी नम्बर 1906/2 शा.न. 1907 रकबा 6 विस्वा शंकरलाल पिता गोकल रेगर के नाम दर्ज है। खाता संख्या 598 आराजी नम्बर 1906/3 शा.न. 1907 रकबा 6 विस्वा नगतरलाल पिता गोकल 1/2 रूकमणी पत्नी भूपेन्द्र कुमार 1/4 नाथुलाल पिता भेरूलाल 1/4 रेगर व खाता संख्या 1087 आराजी नम्बर 1906/1 शा.न. 1907 रकबा 11 विस्वा भेरूलाल पिता गोकल रेगर सा. देह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। भू–प्रबंधन के बाद बन्दोबस्त विभाग द्वारा रेकर्ड में गलत अंकन होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की गई। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार जमाबंदी संवत् 2078–81 में नवीन खाता संख्या 1619 (गत खाता संख्या 1500) के आराजी नम्बर 1214 (गत आराजी 1906/2 शा.न. 1907) रकबा 0.0500 शंकरलाल पुत्र गोकल रेगर, खाता संख्या 678 (गत खाता संख्या 598) के आराजी नम्बर 1213 (गत आराजी नम्बर 1906/3 शा.न. 1907) रकबा 0.0700 नगतरलाल पुत्र गोकल 1/2 नाथुलाल पुत्र भेरूलाल 1/4 रूकमणी पत्नी भूपेन्द्र कुमार 1/4 जाति रेगर सा.देह, खाता संख्या 1080 (गत खाता संख्या 1087) के आराजी नम्बर 1215 (गत आराजी नम्बर 1906/1 शा.न. 1907) रकबा 0.1400 भेरूलाल पुत्र गोकल रेगर के नाम दर्ज है। यह कि नवीन सेटलमेंट में क्षैत्रफल व तरमीम में बदलाव होने से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस "C" अनुसार सभी खातेदार काबिज होने से नक्शा ट्रेस "C" अनुसार संशोधन किये जाने की अनुशंषा की।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन [illegible] के अध्ययन से यह [illegible] की प्रार्थी के साबिक आराजी नम्बर 1906/1 शा.न. 1907, 1906/2 शा.न 1907, 1906/3 शा.न. 1907 (नवीन आराजी नम्बर 1215, 1214, 1213) जो की नामान्तरण संख्या 5362

4. बटवाडा से अलग हुए थे जिसके नवीन सेटलमेंट में आराजी नम्बर 1213 रकबा 0.0700, आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.0500, आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.1400 हैक्टेयर बने है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

जिनके क्षैत्रफल व तरमीम में परिशिष्ट 'A' नक्शा ट्रेस (सेटलमेंट से पूर्व) की तुलना में परिशिष्ट 'B' नक्शा ट्रेस (सेटलमेंट के पश्चात) परिवर्तन हो गया है जिसे सुधारे जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा मौके, क्षेत्रफल व बटवारे अनुसार आराजी नम्बर 1213 की जगह 1214 होने तथा, नवीन बदलाव से आराजी नम्बर 1215 मी. रकबा 0.1300 है0 खातेदार भेरूलाल पुत्र गोकल रेगर, आराजी नम्बर 1213 रकवा 0.0550 एवं आराजी नम्बर 1215/1 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0650 है0 खातेदार नगतरलाल पुत्र गोकल 1/2, नाथुलाल पुत्र भेरूलाल 1/4 रूकमणी पत्नी भूपेन्द्र कुमार 1/4 जाति रेगर व आराजी नंबर 1214 रकबा 0.0500 है0 एवं आराजी नंबर 1213/1 रकबा 0.0150 है0 किता 2 रकबा 0.06500 है0 खातेदार शंकरलाल पुत्र गोकल रेगर के नाम प्रस्तावित किया गया। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया की प्रार्थी के सेटलमेंट के पुर्व व बाद की स्थिति में परिर्वतन है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 1213 की जगह आराजी नम्बर 1214 करने व आराजी नम्बर 1214 की जगह 1213 करने, आराजी नम्बर 1215 मी. रकबा 0.1300 हैक्टेयर खातेदार भेरूलाल पुत्र गोकल रेगर के नाम करने, आराजी नम्बर 1213 मी. रकबा 0.0550 व 1215/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0650 हैक्टेयर खातेदार नगतरलाल पुत्र गोकल 1/2, नाथुलाल पुत्र भेरूलाल 1/4, रूकमणी पत्नी भुपेन्द्र कुमार 1/4 जाति रेगर सा. देह के नाम करने व आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.0500 हैक्टेयर व 1213/1 रकबा 0.0150 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.0650 हैक्टेयर शंकरलाल पुत्र गोकल रेगर के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस "C" अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 29.08.2022 को खुल ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested